

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 100/09

संस्थापन दिनांक:-16/04/09

फाईलिंग नं. 233504000022009

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

संजू पिता कुअर गोंड
उम्र 19 वर्ष, निवासी बरसाली,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 16.04.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 380 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 19.02.2009 को शाम 05:00-06:00 बजे के बीच ग्राम बरसाली में रेलवे कॉलोनी के पीछे स्थित फरियादी के घर में एक मंगलसूत्र सोने का, एक जोड़ सोने की झुमकी, एक सोने की अंगूठी, एक कैमरा कैनन कम्पनी का कुल कीमती 43,500/- रुपये बिना उसकी अनुमति के उसके आधिपत्य से बेईमानी पूर्वक प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी मुरलीधर ने दिनांक 20.02.2009 को थाना आमला आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि दिनांक 19.02.2009 वह शासकीय कार्य से बैतूल गया था और अपने ससुराल में रुक गया था। उसके घर रेलवे कॉलोनी में उसकी पत्नी अकेली थी। जब सुबह वह अपने घर वापस आया तो उसकी पत्नी निर्मला ने बताया कि कल 5-6 बजे वह खेत में काम कर रही थी। उसके घर का दरवाजा खुला था। करीब 06:30 बजे जब वह घर वापस आयी तो देखा कि गोदरेज की आलमारी टूटी थी एवं उसमें रखा जेवर एक मंगलसूत्र सोने का लाकेट लगा हुआ, एक जोड़ झुमकी सोने की, एक सोने की अंगूठी, एक कैमरा तथा 100 रुपये नगदी नहीं मिले कोई अज्ञात चोरी करके ले गया।

3 फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अज्ञात के विरुद्ध अपराध क. 87/14 में धारा 380 भा.दं.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना का नक्शा मौका बनाया गया। अभियुक्त का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेंडम लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त से एक सोने का मंगलसूत्र, एक जोड़ सोने की

झुमकी, एक सोने की अंगूठी, एक कैमरा कम्पनी का कैमरा जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। जप्तशुदा संपत्ति की शिनाख्ती की कार्यवाही करवायी गयी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र निराकरण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.02.2009 को शाम 05:00-06:00 बजे के बीच ग्राम बरसाली में रेलवे कॉलोनी के पीछे स्थित फरियादी के घर में एक मंगलसूत्र सोने का, एक जोड़ सोने की झुमकी, एक सोने की अंगूठी, एक कैमरा कैमरा कम्पनी का कुल कीमती 43,500/- रुपये बिना उसकी अनुमति के उसके आधिपत्य से बेईमानी पूर्वक प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

6 निर्मला यादव (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह ग्राम बरसाली स्थित अपने घर के सामने वाले कमरे में थी। अगले दिन सुबह जब वह अंदर वाले कमरे में गयी तो उसने देखा कि आलमारी में से सोने के झुमके, मंगलसूत्र, अंगूठी, कैमरा और नगद 500/- रुपये कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया था। मुरलीधर यादव (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि वह घटना के दूसरे दिन जब घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने यह बताया कि वह घर पर ताला लगाकर गयी थी। जब घर वापस आयी तो ताला टूटा मिला और घर की आलमारी में से सोने की अंगूठी, झुमकी, मंगलसूत्र, 100/- रुपये कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया था। उपर्युक्त साक्षीगण ने यह भी बताया है कि उन्होंने थाने में आकर रिपोर्ट की थी।

7 विश्वनाथ सिंह (अ.सा.-7) ने थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहना एवं सहायक उप निरीक्षक पी.आर. सिरोही के साथ काम करने से उनके हस्ताक्षरों से भली भांति परिचित होना व्यक्त करते हुए अपने न्यायालयीन कथनों में बताया है कि पीआर सिरोही के द्वारा दिनांक 20.02.2009 को फरियादी मुरलीधर के द्वारा सूचना दिये जाने पर अपराध क्र. 87/09 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) लेख की गयी थी जिसमें फरियादी ने उसके घर से

मंगलसूत्र, बिछिया, सोने की अंगूठी, कैमरा और नगद रूपये चोरी हो जाना बताया था। प्रकरण में संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) एवं साक्षीगण मुरलीधर एवं निर्मला यादव की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि फरियादी के घर से उपर्युक्त सामान चोरी हुए थे।

8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी सुमरत (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि उसे यह पता चला था कि मुरलीधर के यहां पर चोरी हुई है परंतु किसने चोरी की है इस बात की उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि मुरलीधर ने उसे बताया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके घर से सोने का मंगलसूत्र, झुमकी, अंगूठी, कैमरा चोरी कर लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसे 10-12 दिन बार मुरलीधर ने बताया था कि उसके घर पर चोरी हो गयी है। इसके अलावा और कोई बात नहीं बतायी थी। इस प्रकार उक्त साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। साथ ही यह अनुश्रुत साक्षी भी है। फलतः अभियोजन को उक्त साक्षी के कथनों से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

9 मोहन (अ.सा.-5) ने यह बताया है कि अभियुक्त संजू ने मुरलीधर के घर में घुसकर सोने का मंगलसूत्र, टाप्स, अंगूठी, कैमरा, 100/- रूपये चोरी कर लिये थे और उसके सामने यह स्वीकार भी किया था। पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त से सामान जप्त भी किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसे मुरलीधर के घर चोरी होने की बात 4-5 दिन बाद पता चली थी। तत्पश्चात साक्षी ने कहा कि दूसरे दिन जानकारी लग गयी थी। चोरी करने वाले का नाम पता दूसरे दिन नहीं चल पाया था। उपर्युक्त साक्षी ने स्वयं को मेमोरेण्डम एवं जप्ती का साक्षी बताया है परंतु न तो उपर्युक्त साक्षी के समक्ष मेमोरेण्डम लेख किया गया और न ही जप्ती की गयी। साथ ही साक्षी ने मुरलीधर के घर से चोरी होने की बात मुरलीधर के द्वारा बताये जाने पर प्राप्त होना बताया है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

10 प्रकरण में मेमोरेण्डम एवं जप्ती के साक्षी राजाराम (अ.सा.-2) एवं तरुण यादव (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि उनके समक्ष अभियुक्त संजू से पूछताछ की गयी थी जिसमें अभियुक्त ने मुरली के घर से सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी, झुमकी, कैमरा, नगद रूपये चोरी करना और अपने घर में छिपाकर रखना बताया था। उपर्युक्त साक्षीगण ने मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श पी-3) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षीगण ने यह भी बताया है कि उनके समक्ष अभियुक्त संजू ने चोरी गये सामान को घर से निकालकर दिया था जिसका जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-4) है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-5) पर भी

उनके हस्ताक्षर हैं।

11 विश्वनाथ सिंह (अ.सा.-7) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि पी.आर. सिरोही के द्वारा घटना का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया गया था तथा दिनांक 08.03.2009 को अभियुक्त का मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श पी-3) लेखबद्ध किया गया था जिसमें अभियुक्त ने यह बताया था कि उसने सोने का मंगलसूत्र और लॉकेट, एक जोड़ी बिछिया सोने की, एक सोने की अंगूठी, एक कैमरा तथा सौ रूपये घर की कोठी में छिपाकर रखा है। पी.आर. सिरोही के द्वारा अभियुक्त के पेश करने पर सोने का मंगलसूत्र और लॉकेट, एक जोड़ी बिछिया सोने की, एक सोने की अंगूठी, एक कैमरा जप्त कर (प्रदर्श पी-4) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-5) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया था। उपर्युक्त दस्तावेजों पर पी.आर. सिरोही के हस्ताक्षर हैं।

12 राजाराम (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि मेमोरेण्डम उसके समक्ष तैयार नहीं किया गया था। साक्षी ने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्त ने मुरलीधर के घर से चोरी होने की बात उसके समक्ष नहीं बतायी थी। इस सुझाव को सही बताया है कि जब पुलिस ने अभियुक्त संजू से पूछताछ की थी तो उसके और फरियादी मुरली के अलावा और कोई नहीं था। साक्षी से यह प्रश्न पूछे जाने पर कि अभियुक्त संजू ने कहां से क्या सामान निकालकर दिया था तब साक्षी ने उत्तर में यह बताया है कि वह संजू के घर के बाहर था। गिरी साहब संजू के साथ घर के अंदर गये थे। पुलिस ने अभियुक्त संजू से 11-12 बजे पूछताछ की थी। उसके समक्ष अभियुक्त संजू से कोई सामान जप्त नहीं किया था। तरुण यादव (अ.सा.-6) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उससे पुलिस ने कभी कोई पूछताछ नहीं की थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि मेमोरेण्डम (प्रदर्श पी-3) पर थाने में हस्ताक्षर किये थे। इस सुझाव को सही बताया है कि हस्ताक्षर पुलिस के कहने पर किये थे। प्रदर्श पी-3 पर हस्ताक्षर किये जाते समय बहुत भीड़ थी। पुलिस ने मेमोरेण्डम (प्रदर्श पी-3) तैयार करते समय अभियुक्त संजू से कोई पूछताछ नहीं की थी। जब उसने मेमोरेण्डम पर हस्ताक्षर किये थे तब अभियुक्त उपस्थित नहीं था। वह घटना के संबंध में सारी जानकारी फरियादी मुरलीधर के बताये अनुसार बता रहा है। विश्वनाथ सिंह (अ.सा.-7) ने प्रति परीक्षण में यह बताया है कि वह केवल पी.आर. सिरोही के हस्ताक्षरों से परिचित है और वह प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर कथन कर रहा है।

13 निर्मला यादव (अ.सा.-4) ने चोरी गये सामान की शिनाख्ती के संबंध में यह बताया है कि उससे मंगलसूत्र, झुमकी, सोने की अंगूठी की पहचान करवायी गयी थी। उसने जेवरों को सही-सही पहचान लिया था। जेवरों में डिजाईन के आधार पर उसने अपने जेवरों की पहचान की थी।

14 मेमोरेण्डम एवं जप्ती के साक्षी राजाराम (अ.सा.-2) एवं तरुण यादव (अ.सा.-6) ने मुख्य परीक्षण में स्वयं के समक्ष अभियुक्त का मेमोरेण्डम कथन लेख किया जाना बताया है परंतु साक्षी तरुण यादव (अ.सा.-6) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि मेमोरेण्डम तैयार करते समय उसके समक्ष अभियुक्त संजू से कोई पूछताछ नहीं की गयी थी। राजाराम (अ.सा.-2) ने यद्यपि प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त संजू से उसके समक्ष पूछताछ की गयी थी परंतु साथ ही साक्षी ने यह बताया है कि पूछताछ किये जाते समय उसके एवं फरियादी मुरली के अलावा कोई नहीं था। साक्षी राजाराम से प्रतिपरीक्षण में यह पूछे जाने पर कि सामान अभियुक्त संजू ने कहां से निकालकर दिया था तब साक्षी ने यह बताया है कि वह अभियुक्त संजू के घर के बाहर था, वह अंदर नहीं गया था और न ही उसके सामने कोई सामान जप्त किया गया था।

15 उपर्युक्त साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उनके समक्ष अभियुक्त के द्वारा क्या बताया गया था एवं पुलिस के साथ किस जगह पर जाकर अभियुक्त के मकान के किस स्थान से जप्ती की कार्यवाही की गयी थी। यहां तक कि कथनों में अभियुक्त का मकान कहां पर स्थित है यह भी उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। जप्ती के प्रपत्र अपने आप में साक्ष्य नहीं है, जब तक कि उनके कथनों को प्रमाणित न करवाया जाये। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **श्रवण विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2006(2) ए.एन.जे.एम.पी. 235** अवलोकनीय है। इसके अतिरिक्त शिनाख्ती की कार्यवाही के संबंध में फरियादी ने यह बताया है कि उसने गवाहों के समक्ष अपने सामान को पहचाना था परंतु फरियादी के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि उसके जेवरों के साथ उसी से मिलते जुलते अन्य जेवर मिलाये गये हो एवं उसके उपरांत पहचान कार्यवाही करायी गयी हो।

16 फरियादी निर्मला यादव (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि घटना दिनांक को वह घर पर ही सामने वाले कमरे पर थी और बीच वाले कमरे से चोरी हुई थी। जबकि उसके पति मुरलीधर यादव (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि उसकी पत्नी निर्मला ने उसे यह बताया था कि वह घर में ताला लगाकर खेत गयी थी और जब वापस आयी तो घर का ताला टूटा हुआ मिला और आलमारी से सामान चोरी हो गया था। इस प्रकार फरियादी एवं मुरलीधर यादव के कथनों में विरोधाभास है। साथ ही प्रकरण में मेमोरेण्डम एवं जप्ती के साक्षी भी विश्वसनीय नहीं पाये गये हैं। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लेख करायी गयी है। स्वयं निर्मला यादव एवं मुरलीधर यादव ने यह बताया है कि उन्होंने अभियुक्त को चोरी करते हुए नहीं देखा था। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा ही फरियादी के आधिपत्य के खेत स्थित मकान से सामान हटाकर चोरी की।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्ता ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के घर से एक मंगलसूत्र सोने का, एक जोड़ सोने की झुमकी, एक सोने की अंगूठी, एक कैमरा कैनन कम्पनी का कुल कीमती 43,500/- रुपये बिना उसकी अनुमति के उसके आधिपत्य से बेईमानी पूर्वक प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की। फलतः अभियुक्त संजू को भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 प्रकरण में जप्तशुदा एक मंगलसूत्र सोने का, एक जोड़ सोने की झुमकी, एक सोने की अंगूठी, एक कैमरा कैनन कम्पनी फरियादी मुरली पिता रामचरण निवासी बरसाली थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर दी गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

19 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)